मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/पं.रा./एफ-6/E-1303970/2026/ भोपाल, दिनांक 02/06/2026

प्रति,

1. **कलेक्टर जिला समस्त,**
   मध्यप्रदेश।

2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- **ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की स्थानान्तरण नीति-2026 लागू करने बावत।**

संदर्भ :- **मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक GAD/4/0001/2026-GAD-9-01 भोपाल दिनांक 22 मई 2026**

---00---

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक GAD/4/0001/2026-GAD-9-01 भोपाल दिनांक 22 मई 2026 द्वारा जारी राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2026 के तारतम्य में ग्राम पंचायत सचिव के स्थानांतरण निम्न शर्तों के साथ किये जा सकेंगे :-

(1) जिले के भीतर स्थानांतरण

दिनांक 01 जून 2026 से 15 जून 2026 तक या वर्ष 2026 में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थानान्तरण के प्रतिबंध को शिथिल करने की अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र. शासन की स्थानांतरण नीति के प्रावधानों में **निर्धारित सीमा** अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिवों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा। स्थानांतरण आदेश मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के हस्ताक्षर से जारी किये जायेंगे।

1.1 निम्न परिस्थिति में ग्राम पंचायत सचिव का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा :-

1.1.1 - यदि किसी ग्राम पंचायत में सचिव का नातेदार सरपंच या उपसरपंच चुन लिया गया है तो ऐसी ग्राम पंचायत से सचिव का स्थानांतरण कर अन्य ग्राम पंचायत में पदस्थ किया जायेगा। साथ ही स्थानांतरण उपरांत नवीन पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत में भी सरपंच या उपसरपंच, सचिव का नातेदार न हो यह सुनिश्चित किया जाये।

1.1.2- किसी भी पंचायत सचिव को उसके पैतृक ग्राम पंचायत या उसके ससुराल की ग्राम पंचायत में स्थानांतरण कर पदस्थ नही किया जायेगा।

1.1.3- ऐसे ग्राम पंचायत सचिव जो एक ही ग्राम पंचायत में विगत 10 वर्ष या उसे अधिक समयावधि से पदस्थ है, उनका स्थानांकरण किया जाये, किन्तु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक स्थानातरण नहीं किये जा सकेंगे। यदि निर्धारित प्रतिशत से अधिक संख्या में किसी जिलें में एक ही ग्राम पंचायत में 10 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थी वाले सचिव पाये जाते है, तो उन सचिवों का स्थानांतरण क्रमशः पहले किया जाये जिनकी एक ही ग्राम पंचायत में पदस्थापना अवधि सर्वाधिक है।

1.2 प्रतिबंध अवधि के दौरान स्थानांतरण :-

प्रतिबंध अवधि में तथा स्थानान्तरण नीति से हटकर सामान्यतः केवल निम्न अपवादिक परिस्थितियों में ग्राम पंचायत सचिव के स्थानान्तरण आदेश विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत आयुक्त/संचालक पंचायत राज संचालनालय द्वारा जारी किए जा सकेंगे :-

1.2.1 ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालयीन निर्णय के अनुपालन के अतिरिक्त अन्य कोई विधिक विकल्प शेष न हो, किन्तु ऐसी परिस्थिति में स्थानांतरित किये जा रहे स्थान पर संबंधित सचिव के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नही होना चाहिये।

1.2.2 सचिव की अत्यंत गंभीर शिकायत/गंभीर अनियमितता/ गंभीर लापरवाही जिसमें विभाग द्वारा म०प्र० पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

1.2.3 लोकायुक्त संगठन/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो अथवा पुलिस द्वारा सचिव के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने अथवा अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ होने पर विभागाध्यक्ष की संतुष्टि उपरांत जांच प्रभावित न होने की दृष्टि से किए जाने वाले स्थानान्तरण।

1.2.4 उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में भारसाधक सचिव प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे। किन्तु ऐसे स्थानान्तरण प्रकरण जिन्हें विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है, ऐसे प्रकरण भारसाधक सचिव विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत, कारण सहित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय को पुनः प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे।

(2) अन्तर जिला संविलियन

अन्तर जिला संविलियन केवल स्वैच्छिक आधार पर किये जा सकेंगे:-

2.1- महिला ग्राम पंचायत सचिव का संविलियन –

विवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा महिला सचिव का अन्तर जिला संविलियन ऐसे जिलें में किया जा सकेगा जिसमें उसका ससुराल / पति का निवास अथवा उसके स्वयं के माता-पिता का निवास है। संविलियन उनके संपूर्ण सेवाकाल में एक बार ही किया जा सकेगा।

2.2 अनुकंपा पर नियुक्त ग्राम पंचायत सचिव -

जिस ग्राम पंचायत सचिव की अनुकंपा नियुक्ति अपने गृह जिले के अतिरिक्त अन्य किसी जिले में हुई है तो वह अपने गृह जिले में संविलियन के लिये आवेदन कर सकेगा। संविलियन उनके संपूर्ण सेवाकाल में एक बार ही किया जा सकेगा।

2.3 संविलियन की प्रक्रिया -

2.3.1- संविलियन के लिये इच्छुक ग्राम पंचायत सचिव, वर्तमान पदस्थापना के जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी को वांछित जिले की वरिष्ठता सूची में, वरिष्ठता सबसे नीचे निर्धारित करने की सहमति का शपथ पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

SCAN AnyScanner

2.3.2- वर्तमान पदस्थापना जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इच्छुक सचिव का आवेदन एवं वरिष्ठता निर्धारण संबंधी शपथ पत्र अनुशंसा सहित वांछित जिला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को तथा उसकी प्रतिलिपि आयुक्त पंचायत राज संचालनालय भोपाल को ई-आफिस से प्रेषित करेंगे।

2.3.3- वांछित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने जिले के संबंधित प्रवर्ग के रिक्त पद का परीक्षण कर, रिक्त पद की उपलब्धता देखेंगे। यदि पद उपलब्ध हो तो आवेदन एवं शपथ-पत्र अनापत्ति सहित आयुक्त पंचायत राज संचालनालय भोपाल को ई-आफिस से प्रेषित करेंगे।

2.3.4- संविलियन आदेश प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत आयुक्त पंचायत राज संचालनालय भोपाल द्वारा जारी किये जायेंगे।

2.3.5- संविलियन पश्चात् सचिव का नाम वांछित जिले की उस वर्ष जिसमें संविलियन किया गया है कि वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जायेगा।

2.3.6- पूरे सेवाकाल में उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर केवल एक ही बार अंतर जिला संविलियन किया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

Digitally signed by
Hradayesh Kumar Shrivastava
Date: 09-06-2026 11:04:16

(हृदयेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमांक/पं.रा./एफ-6/1303970/2026/ भोपाल, दिनांक 09/ 06/2026

प्रतिलिपिः-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्यमंत्री, म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, मान, प्रभारी मंत्री, जिले समस्त, मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन भोपाल।
5. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल।
6. आयुक्त सह संचालक पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त मध्यप्रदेश।
8. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर उनके परिपत्र दिनांक 22.05.2026 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त मध्यप्रदेश।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

AnyScanner